उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, लखनऊ

पत्रांकः 219 / उ0प्र0सू0आ0 / अधिष्ठान / 146 / 2014 दिनांकः 13 जनवरी, 2026

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के विज्ञप्ति संख्या 46 / तीन–2026, दिनांक 12 जनवरी, 2026 के द्वारा वर्ष 2026 हेतु घोषित अवकाशें की सूची के प्रस्तर–2 (II) में वर्ष 2026 के लिए निर्बन्धित अवकाश की सूची के क्रमांक–2 पर मकर संक्रान्ति कि अवसर पर दिनांक 14 जनवरी, 2026 (बुधवार) पर दिनांक 14 जनवरी, 2026 (बुधवार) को घोषित निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर दिनांक 15 जनवरी, 2026 (गुरूवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में दिनांक–15 जनवरी, 2026 (गुरूवार) को मकर संक्रान्ति के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

संलग्नकः शासनादेश दिनांक 12.01.2026 की छायाप्रति।

(कुमार प्रशान्त)
सचिव

पत्रांक एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
2. निजी सचिव, समस्त मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
3. निजी सचिव, सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
4. रजिस्ट्रार / उपसचिव / प्रशासनिक अधिकारी / जनसूचनाधिकारी / शोध अधिकारीगण, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
5. आई0टी0 सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकारीगण / कर्मचारीगण को ग्रुप मैसेज एवं आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशन करें।

(तेजस्कर पाण्डेय)
उपसचिव

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या- 46 /तीन-2026
लखनऊ। दिनांक। 12 जनवरी, 2026

विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-671/तीन-2025-39(2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 द्वारा वर्ष 2026 हेतु घोषित अवकाशों की सूची के प्रस्तर-2(II) में वर्ष 2026 के लिए निर्बन्धित अवकाश की सूची के क्रमांक-2 पर मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक 14 जनवरी, 2026 (बुधवार) को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया है। शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मकर संक्रान्ति के अवसर पर दिनांक 14 जनवरी, 2026 (बुधवार) को घोषित निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर दिनांक 15 जनवरी, 2026 (गुरूवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में मकर संक्रान्ति के पावन अवसर पर दिनांक 15 जनवरी, 2026 (गुरूवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। तदनुसार सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

एस०वी०एस० रंगा राव,
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन।
2- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र० शासन।
3- प्रमुखसचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
5- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- महालेखाकार, उ०प्र इलाहाबाद।
7- प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ०प्र०
8- समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
10- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11- प्रबन्धक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, आंचलिक कार्यालय 45 भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ।
12- क्षेत्रीय निदेशक, उ०प्र० एवं उत्तराखण्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर।
13- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रसार एवं प्रचार कराने हेतु।
14- महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, गोमतीनगर, लखनऊ।
15- कुलपति, डा० सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
16- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।
17- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(जुहैर बिन सगीर)
विशेष सचिव।

आशुलेखक/शा